Thermal and Gas-based power projects in Madhya Pradesh awaitig clearance by the Central Government

*228. SHRI SURESH PACHOURI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the details of the thermal and gas based power projects in Madhya Pradesh awaiting clearance by Government;

(b) since when these projects have been pending with Government, project-wise;

(c) the reasons for delay in clearing these projects; and

(d) by when Government propose to clear these projects?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (DR. S. VENUGOPALACHARI): (a) to (d) No thermal (coal and gas based) power project of Madhya Pradesh is pending clearance in the Central Electricity Authority.

रसोई गैस और मिट्टी के तेल का आयात और वितरण

***229. श्री दिलीप सिंह जुदेव:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में किन-किन निजी फर्मों को वर्ष 1994-95 और 1995-96 के दौरान रसोई गैस तथा मिट्टी का तेल आयात करने और उसका वितरण करने की अनुमति दी गई है;

(ख) इस प्रयोजनार्थ किन-किन विदेशी फर्मों के साथ समझौते किए गए हैं;

(ग) सरकार द्वारा गैर-सरकारी क्षेत्र में रसोई गैस तथा गैस सिलेंडरों के उत्पादन और वितरण के लिए कौन-कौन सी शर्तें निर्धारित की गई हैं; और

(घ) गैर सरकारी क्षेत्र की उन फर्मों के नाम क्या हैं जिन्हें मध्य प्रदेश में बाटलिंग और रीफिलिंग हेतु रसोई गैस और मिट्टी के तेल का प्रमाण करने की अनुमति दी गई है और यह अनुमति कब से दी गई है तथा उनके कार्यक्षेत्र का ब्यौरा क्या है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी॰ आर॰ बालु): (क) से (घ) समानांतर विपणन प्रणाली के अंतर्गत भारतीय अथवा विदेशी निजी पक्षकारों को अपने स्वयं के निबंधनों के तहत बाजार निर्धारित कीमतों पर अपनी स्वयं की मूलभूत सुविधाओं और वितरण नेटवर्क का उपयोग/स्थापना करते हुए एल पी जी और मिट्टी के तेल का आयात और विपणन करने की अनुमति दी गई है। इस योजना के अंतर्गत क्रियाकलाप आरम्भ करने के लिए निजी पक्षकारों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से कोई अनुमति प्राप्त नहीं करनी होती। तथापि, जहां लागू हो वहां उन्हें संरक्षा, प्रदूषण नियंत्रण आदि के बारे में संबंधित अधिनियमों और नियमों के अंतर्गत अनुमोदन प्राप्त करने होते हैं। निजी पक्षकारों के लिए किसी अनुमोदित श्रेणीकरण एजेंसी से स्वयं को श्रेणीबद्ध करवाना तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय एवं अन्य संबंधित संस्थाओं को श्रेणीकरण प्रमाणपत्र भेजना भी आवश्यक है।

निजी पक्षकार देश के किसी भी भाग में आयातित एल पी जी और मिट्टी के तेल का विपणन कर सकेंते है। थोंक अथवा सिलिंडरों के रूप में समानांतर विपणन योजना के अंतर्गत एल पी जी का विपणन गैस सिलिंडर नियमावली, 1941 और संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लागू नियमों के अतिरिक्त संशोधित एल पी जी नियंत्रण आदेश 1993 और इसमें बाद में हुए सभी संशोधनों के प्रावधनों के अनुरुप होना चाहिए। अब तक एल पी जी के लिए 96 पक्षकारों और मिट्टी तेल के लिए 66 पक्षकारों ने समानांतर विपणन के लिए श्रेणीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया है। समानांतर विपणनकर्त्ता किसी भी राज्य अथवा क्षेत्र में प्रचालन कर सकते हैं।

Royalty on petroleum and natural gas

*230. SHRI SHIV CHARAN SINGH:
SHRI GOVINDRAM MIRI:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the details of the rates of royalty on petroleum and natural gas being given by the Centre to the States which are producing the same;

(b) whether Government are considering an upward revision, as demanded by those States; and

(c) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI T.R. BAALU): (a) The rate of royalty on crude oil was fixed at